Regarding filling up the vacant posts in various commissions for the welfare of SC/ST & OBCs

श्री कीर्ति आज़ाद **(**बर्धमान-दुर्गापुर**) :** माननीय सभापति महोदया जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और संविधान से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसे लेकर आपके सामने आया हूं । यहां माननीय मंत्री जी, जो प्रभार में जीरो आवर देख रहे हैं, इसको सुनना आवश्यक है ।

माननीय सभापति महोदया जी, कुछ संवैधानिक पद ऐसे होते हैं, जिनका सदैव बने रहना बहुत आवश्यक होता है । संविधान में ये मैन्डेटिड हैं लेकिन अब संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। अनेक ऐसे कमीशन्स हैं, जिनके अध्यक्ष नहीं हैं । मैं विशेषकर चार जगह के नाम ले रहा हूं और इनसे संबंधित वे लोग हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं । There is persistent neglect and disregard for constitutional mandate and support system for socially-disadvantaged section. इनके नाम हैं - National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Scheduled Castes, National Commission for Backward Classes, National Commission for Protection of Child Rights. इनके अध्यक्ष अब नहीं हैं जबकि ये पद सदैव भरे होने चाहिए क्योंकि ये सिविल कोर्ट का काम भी करते हैं । लोग अपनी अलग-अलग शिकायतें लेकर आते हैं और इन विषयों की जांच होती है । ये सिविल कोर्ट का काम करते हैं जिससे तुरंत न्याय मिलता है । लेकिन ?सबका साथ, सबका विकास? वाली पार्टी के लोग खुद कहते हैं, जो हमारे साथ हैं, उनका ही विकास होगा, बाकियों का नहीं होगा । आज ऐसी परिस्थिति में, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है? आप 400 पार पर संविधान बदलना चाहते थे, क्या आप उसकी खीज उतार रहे हैं? ? (व्यवधान) आपने शैड्यूल्ड ट्राइब्स, शैड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के अध्यक्ष नहीं बनाए हैं? इसका क्या कारण है? ? (व्यवधान) सरकार के मंत्री जी को यहां बैठकर जवाब देना चाहिए । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य, आपका विषय रिकॉर्ड में आ गया है ।

? (व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद **:** आपने जिस प्रकार से पूरे देश में ढिंढोरा पीटा था, एससी-एसटी, ओबीसी, प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड एक्ट कहां है? यहां तक कि एससीएसटी के वाइस चेयरमैन भी नहीं हैं । जानबूझकर एससी-एसटी, ओबीसी, चाइल्ड प्रोटेक्शन के जितने लोग हैं, ये कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि ये चाहते हैं कि संविधान में बदलाव आए और ऐसे लोगों को, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको न्याय नहीं मिले । अत: मैं कहना चाहूंगा कि जो भी यहां प्रभारी मंत्री बैठे हैं, वह जवाब दें कि जो रिक्त जगह हैं, उसको भरेंगे और संविधान को बदलने का इन्होंने दिमाग में जो फितूर रखा है, उसे हटाएंगे । ? (व्यवधान) यह कमीशन तुरंत शुरू होने चाहिए । धन्यवाद ।

माननीय सभापति : धन्यवाद, श्री जनार्दन मिश्रा जी ।